बिहार राज्य महिला आयोग, पटना

सत्यमेव जयते

हाई कोर्ट के निकट, 1 साउथ बेली रोड, पटना-1

पत्रांक- बि०रा०म०आ०/ 3573 /2026 दिनांक- 12/11/26

बिहार राज्य महिला आयोग, पटना द्वारा राजगीर में आयोजित होनेवाले चार दिवसीय ''शक्ति संवाद'' कार्यक्रम हेतु इवेंट एजेंसी के चयन से संबंधित स्क्रीनिंग समिति की बैठक की कार्यवाही :-

बिहार राज्य महिला आयोग, बिहार, पटना द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के तत्वाधान में राजगीर में आयोजित होनेवाले चार दिवसीय ''शक्ति संवाद'' कार्यक्रम (दिनांक 27.11.2026 से 30.11.2026) के सफल संचालन हेतु इवेंट प्लानिंग और एण्ड-टू-एण्ड इवेंट मैनेजमेंट सेवाएँ प्रदान करने के लिए संवेदक/एजेंसी/ इवेंट मैनेजमेंट कम्पनी के चयन के लिए प्रकाशित अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना - 3427/2026, दिनांक 30.10.2026 एवं शुद्धि पत्र -I 3517/2026 दिनांक 09.11.2026 के विरूद्ध निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक कुल चार निविदादाताओं द्वारा निविदाएँ समर्पित की गई।

समिति द्वारा उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्राप्त सभी चारो निविदाओं को विधिवत खोला गया और निविदा में निर्धारित शर्तों एवं पात्रता मानदंडों के आलोक में उनकी गहन संवीक्षा की गई। संवीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि चारों निविदादाताओं द्वारा निविदा की अनिवार्य शर्त के रूप में माँगी गई बयाना जमा राशि (Earnest Money Deposit) रूपये 5,00,000/- (पाँच लाख) का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न नहीं किया गया है। संवीक्षा का विवरण निम्न तालिका में अंकित है :-

क्र.सं.	निविदादाता का नाम	EMD की राशि एवं स्थिति	समिति की टिपपणी/निष्कर्ष
1.	मेसर्स फ्रीजटी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	रूपये 5,00,000/- लाख का DD जमा नहीं किया गया है	तकनीकी रूप से अयोग्य
2.	मेसर्स पीरामिड फैबकॉन इवेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड	रूपये 5,00,000/- लाख का DD जमा नहीं किया गया है	तकनीकी रूप से अयोग्य
3.	मेसर्स लालू जी एंड सन्स	रूपये 5,00,000/- लाख का DD जमा नहीं किया गया है	तकनीकी रूप से अयोग्य
4.	मैसर्स शैडो एडवरटाइजिंग एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	रूपये 5,00,000/- लाख का DD जमा नहीं किया गया है	तकनीकी रूप से अयोग्य

समिति का निर्णय एवं अनुशंसा :-

निविदा की अनिवार्य शर्त के अनुसार, बयाना जमा राशि (EMD) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना आवश्यक है। किसी भी निविदादाता द्वारा इस मूलभूत शर्त को पूरा नहीं किया गया है। अत: नियमानुसार चारों निविदादाताओं को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है।

बिहार राज्य महिला आयोग, पटना

सत्यमेव जयते

हाई कोर्ट के निकट, 1 साउथ बेली रोड, पटना-1

पत्रांक- बि०रा०म०आ०/ /2026 दिनांक-.....

उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में यह समिति, सर्वसम्मति से वर्तमान अल्पकालीन निविदा को रद्द करने की अनुशंसा करती है।

चूँकि कार्यक्रम की तिथि (27-30 नवम्बर 2026) अत्यंत निकट है, अतः समिति यह भी अनुशंसा करती है कि सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत अल्पकालीन पुनर्निविदा (Short Term Re-Tender) के लिए समाज कल्याण विभाग, पटना एवं विभाग से संबद्ध सभी निदेशालयों अथवा महिला एवं बाल विकास निगम में इवेंट मैनेजमेंट हेतु सूचीबद्ध (Empanelled) एजेंसी के साथ सीमित निविदा (Limited Tender) आमंत्रित किया जा सकता है।

अंत में सधन्यवाद वैठक की कार्रवाही समाप्त की गई।

क्र.सं.	नाम/पदनाम	हस्ताक्षर
(1)	विनीता कुमारी, आशुटंकक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर -सह-सदस्य स्क्रीनिंग समिति।	12/11/26
(2)	ऋषि कुमार, आशुलिपिक -सह-सदस्य स्क्रीनिंग समिति।	12/11/2026
(3)	राशि द्विवेदी, लेखा पदाधिकारी, निगम-सह-सदस्य स्क्रीनिंग समिति।	12/11/2026
(4)	बवीता राय, सहायक निदेशक, स0क0निदेशालय -सह-सदस्य स्क्रीनिंग समिति।	12/11/26
(5)	वन्दना कुमारी, उपसचिव-सह-अध्यक्ष, स्क्रीनिंग समिति।	12/11/26

ज्ञापांक 3573 /26 दिनांक 12/11/26

प्रतिलिपि :- (1) सदस्य सचिव, बिहार राज्य महिला आयोग, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) क्रय समिति, बिहार राज्य महिला आयोग, पटना के सभी सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/11/26

(वन्दना कुमारी)

उपसचिव-सह-अध्यक्ष, स्क्रीनिंग समिति

बिहार राज्य महिला आयोग, पटना।